सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जिला जयपुर

राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार–2018

कैम्प कोर्ट : विराटनगर, कैम्प दिनांक 29.06.2018

पीठासीन अधिकारी – मुकेश कुमार मूंड R.A.S.

प्रार्थना पत्र संख्या :– 05 / 2016 **दायर तारीख** 01.12.2016

राजस्थान सरकार जरिए थानाधिकारी पुलिस थाना विराटनगर, जिला जयपुर

बनाम

1. बाबूलाल पुत्र तोताराम
2. तोताराम पुत्र घींसाराम

} जाति गुर्जर निवासी तालू का बास उर्फ रघुनाथपुरा तहसील विराटनगर

—— प्रथम पक्ष

1. सूराराम पुत्र भरता राम
2. कबूल चन्द पुत्र सूराराम

} जाति गुर्जर, निवासी तालू का बास उर्फ रघुनाथपुरा, तहसील विराटनगर

—— द्वितीय पक्ष

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 145 सी.आर.पी.सी.

उपस्थित :– श्री आनन्दसिंह शेखावत, अधिवक्ता प्रथम पक्ष
श्री अनिल कुमार कौशिक, अधिवक्ता द्वितीय पक्ष

निर्णय

निर्णय दिनांक :– 29.06.2018

1. थानाधिकारी पुलिस थाना विराटनगर ने इस्तगासा धारा 145 पेश कर अवगत कराया कि प्रथम पक्ष परिवादी बाबूलाल गुर्जर ने एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की है कि खसरा नम्बर 120, 121, 122, 146, 253, 254, 255, 260 के संबंध में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वारा दिनांक 20.06.2016 को निर्णय पारित कर द्वितीय पक्ष सूराराम, कबूल वगैरह को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया है, फिर भी सूराराम वगैरह ने एक गिरोह बनाकर परिवादी की जमीन पर नाजायज कब्जा कर रखा है। द्वितीय पक्ष ने निर्णय दिनांक 20.06.2016 की अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर के यहां कर रखी है, जो मान्य न्यायालय में विचाराधीन है। मुताबिक रिकार्ड विवादित आराजी परिवादी प्रथम पक्ष बाबूलाल के पिता तोताराम के नाम से जमाबन्दी में अंकन किया गया व राजस्व अपील प्राधिकारी का नोट भी जमाबन्दी पर अंकन है। द्वितीय पक्ष का विवादित जमीन पर कब्जा है, तथा प्रथम पक्ष जब भी विवादित जमीन का कब्जा लेने जाता है, तो प्रथम व द्वितीय पक्ष आपस में लडाई झगडा करते है। मौके पर कभी भी रिकार्ड व कब्जे की बात को लेकर कोई बडा झगडा हो सकता है। मौके पर कब्जे व जमीनी बात को लेकर दोनो पक्षों

सत्यमेव जयते
Web copy - Not Official

में तनाव है। दोनो पक्षकारों के पडौसियों से जानकारी मे भी यह तथ्य सामने आया है कि दोनो पक्षो में जमीन की बात को लेकर काफी तनाव है तथा दोनो पक्षों में कभी भी झगडा हुआ तो कोई भी जनहानि होने की संभावना बनी है। अतः विवादित भूमि पर धारा 145 सी.आर.पी.सी. की कार्यवाही किया जाना न्यायसंगत है।

2. इस्तगासा बाद जांच दर्ज पंजिका कर दोनो पक्षों की तल्बी की गई। दोनो ही पक्षों ने उपस्थित होकर जरिए अधिवक्ता जवाब प्रस्तुत किये।

3. प्रथम पक्ष का जवाब रहा कि ग्राम तालू का बास उर्फ रघुनाथपुरा के खसरा नम्बर 120/0.08, 121/0.04, 122/0.34, 146/0.09, 253/0.03, 254/0.19, 255/0.22, 260/0.24, 473/0.15 हैक्टेयर के संबंध में प्रथम पक्ष संख्या 2 तोताराम एवं द्वितीय पक्ष संख्या 1 सूराराम ने खसरा नम्बर 122/0.34 हैक्टेयर बाबत पृथक–पृथक दावा न्यायालय श्रीमान के सक्षम पेश किया था। दोनो मुकदमों उनवानी सूराराम बनाम तोताराम मुकदमा नम्बर 01/2014 एवं तोताराम बनाम सूराराम मुकदमा नम्बर 71/2014 को न्यायालय ने हमकिता कर दोनो मुकदमों में निर्णय पारीत कर निर्णय दिनांक 20.06.2016 के द्वारा सूराराम बनाम तोताराम मुकदमा नम्बर 01/2014 को खारिज करते हुए प्रथम पक्ष बाबूलाल, तोताराम के काउन्टर क्लेम, दूसरे दावा मुकदमा नम्बर 71/2014 तोताराम बनाम सूराराम को डिक्री किया है एवं द्वितीय पक्ष सूराराम वगैरह को निर्णय दिनांक 20.06.2016 के द्वारा जरिए स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया है कि, वे तोताराम वगैरह के कब्जे काश्त में किसी भी माध्यम से दखल नहीं करें, जिसके खिलाफ सूराराम वगैरह ने न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, जयपुर के यहां अपील पेश की है, जिसमें किसी प्रकार का स्थगन जारी नहीं है। द्वितीय पक्ष सूराराम वगैरह प्रथम पक्ष के बाबूलाल वगैरह को मुताबिक डिक्री काश्त करने में परेशानी पैदा करते है, जिससे मजबूर होकर बाबूलाल ने श्रीमान जिला कलक्टर महोदय को पुलिस इमदाद से प्रार्थी की भूमि काश्त कराने का प्रार्थना पत्र पेश किया एवं इस संबंध में न्यायालय श्रीमान को भी प्रार्थना पत्र पेश किया है, जिस पर कार्यवाही करने हेतु थानाधिकारी को निर्देश जारी किये है, किन्तु थानाधिकारी ने न्यायालय डिक्री के विपरीत जाकर हस्तगत इस्तगासा 145 सीआरपीसी पेश किया है, जो गलत है। 145 सीआरपीसी के तहत कार्यवाही न्यायालय के समक्ष प्रकरण विचाराधीन होने की सूरत मे ही चल सकता है। उक्त प्रकरण में न्यायालय श्रीमान ने विवादित खसरा नम्बर 122/0.34 हैक्टेयर को तोताराम की खातेदारी भूमि होना मानते हुए सूराराम वगैरह को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया है, ऐसे में पुलिस द्वारा तोताराम, बाबूलाल का सहयोग कर काश्त करवाये जाने के बजाय उनकी खातेदारी भूमि के कब्जे राज लेने की सिफाशि की है, जो गलत है। न्यायालय द्वारा बाद सुनवाई वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 122/0.34 हैक्टेयर के अलावा शेष नम्बरों के संबंध में भी पुलिस ने

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

कब्जे राज की सिफारिश की है, जिससे इस बात की पुष्टि होती है कि पुलिस थाना द्वारा निष्पक्ष जांच नहीं की गयी है, क्योंकि सूराराम का दामाद प्रसादीलाल पुलिस विभाग में नौकरी कता है, उसके प्रभाव में आकर गलत नतीजा पेश किया है, जबकि प्रथम पक्ष स्वयं पुलिस के सहयोग से अपनी भूमि की काश्त करवाना चाहते है। अतः निवेदन है कि पुलिस थाना विराटनगर द्वारा पेश सिफारिश बाबत कब्जे राज में लिए जाने खसरा नम्बर 120, 121, 122, 146, 253, 254, 260 को खारिज फरमाये।

4. प्रथम पक्ष ने अपने जवाब के समर्थन में फोटोप्रति प्रमाणित नकल निर्णय 20.06.2016, फोटोप्रति इस्तगासा अन्तर्गत धारा 107, 116 (3), खातेदारी भूमि की पुलिस इमदाद से काश्त कराने बाबत बाबूलाल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, फोटोप्रति न्यायालय आदेशिका राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर, नकल जमाबन्दी खाता संख्या 48 संवत् 2070–2073, प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 17.09.2016 आदि पेश किये।
5. द्वितीय पक्ष का जवाब रहा कि मुताबिक निर्णय दिनांक 20.06.2016 विवादित भूमि का कब्जा काश्त शुरू से ही द्वितीय पक्ष के पास है, उक्त कब्जे को लेकर किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। ऐसे में थानाधिकारी द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा 145 सीआरपीसी काबिल खारिज है। न्यायालय द्वारा निर्णित मुकदमा नम्बर 1/2014 सूराराम बनाम तोताराम से व्यथित होकर द्वितीय पक्ष ने उक्त निर्णय के खिलाफ राजस्व अपील अधिकारी जयपुर के समक्ष अपील संख्या 430/2016 दायर कर दी है, जो वर्तमान में विचाराधीन है तथा माननीय उच्चतम न्यायालय निर्णय अनुसार एक समान दो मुकदमें अलग–अलग न्यायालयों में नहीं चलाये जा सकते है। अतः इस्तगासा धारा 145 सीआरपीसी खारिज फरमाये जाने की कृपा करें।
6. द्वितीय पक्ष ने जवाब के संबंध में फोटोप्रति आदेशिका न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर, फोटोप्रति अपील प्रार्थना पत्र आदि पेश किये।
7. पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट विराटनगर में पेश हुई। बहस वकुलाय सुनी गई।
8. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया तथा बहस वकुलाय पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट एवं दस्तावेजात के आधार पर प्रकरण में दो बिन्दु मुख्य से स्थापित होते हैं, जिनके संबंध में निर्णय किया जाना अपेक्षित एवं न्यायसंगत है।

    1. आया विवादित खसरा 120, 121, 122, 146, 253, 254, 260 किन पक्ष के स्वामित्व/अधिकार व कब्जे की है ? उक्त बिन्दु के संबंध में थानाधिकारी विराटनगर के इस्तगासा रिपोर्ट पर गहनता से मनन किया गया। विवादित खसरा 120, 121, 122, 146, 253, 254, 260 पर प्रथम पक्ष के बाबूलाल व तोताराम अपना हक व कब्जा मानते है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

विद्वान अधिवक्ता प्रथम पक्ष का तर्क रहा कि ग्राम तालू का बास उर्फ रघुनाथपुरा के विवादित साबिक खसरा नम्बर 120/0.08, 121/0.04, 122/0.34, 146/0.09, 253/0.03, 254/0.19, 255/0.22, 260/0.24, 473/0.15 हैक्टेयर के संबंध में निर्णय दिनांक 20.06.2016 के द्वारा द्वितीय पक्ष को जरिए स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया है कि, वे तोताराम वगैरह के कब्जे काश्त में किसी भी माध्यम से दखल नहीं करें, जिसके खिलाफ सूराराम वगैरह ने न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, जयपुर के यहां अपील पेश की है, जिसमें किसी प्रकार का स्थगन जारी नहीं है।

विद्वान अधिवक्ता द्वितीय पक्ष का तर्क रहा कि मुताबिक निर्णय दिनांक 20.06.2016 विवादित भूमि का कब्जा काश्त शुरू से ही द्वितीय पक्ष के पास है, उक्त कब्जे को लेकर किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। ऐसे में थानाधिकारी द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा 145 सीआरपीसी काबिल खारिज है। न्यायालय द्वारा निर्णित मुकदमा नम्बर 1/2014 सूराराम बनाम तोताराम से व्यथित होकर द्वितीय पक्ष ने उक्त निर्णय के खिलाफ राजस्व अपील अधिकारी जयपुर के समक्ष अपील संख्या 430/2016 दायर कर दी है, जो वर्तमान में विचाराधीन है तथा माननीय उच्चतम न्यायालय निर्णय अनुसार एक समान दो मुकदमें अलग–अलग न्यायालयों में नहीं चलाये जा सकते है। अतः इस्तगासा धारा 145 सीआरपीसी खारिज फरमाये जाने की कृपा करें।

दौराने बहस यह तथ्य प्रकट हुआ कि प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष के मध्य विवादित आराजीयात पर मालिकाना हक अधिकार व कब्जे को लेकर किसी प्रकार विवाद नहीं है । न्यायालय हाजा द्वारा निर्णित मुकदमा नम्बर 1/2014 सूराराम बनाम तोताराम के निर्णय दिनांक 20.06.2016 के खिलाफ द्वितीय पक्ष ने राजस्व अपील अधिकारी जयपुर के समक्ष अपील संख्या 430/2016 दायर कर दी है, जो वर्तमान में विचाराधीन है तथा उक्त अपील में किसी प्रकार का स्थगन जारी नहीं है। प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष के द्वारा कब्जा स्वामित्व के संबंध में अपने–अपने जवाब के कथन मौखिक साक्ष्य की परिभाषा में आते है, जिनके आधार पर मालिकाना हक के बिन्दु का निर्णय किया जाना उचित नहीं पाता हूँ। विवादित सम्पत्ति आराजीयात किन पक्ष के स्वामित्व/अधिकार व कब्जे की है, जिसके संबंध में निर्णय प्रथम व द्वितीय पक्ष के मध्य चल रहे अपील वाद के निर्णय से होना है।

2. आया विवादित आराजी के कब्जा व अधिकार के संबंध में शांतिभंग व लडाई–झगडा, खून–खराबा होने की संभावना है तथा इस आधार पर विवादित आराजी को कुर्क कर उस पर रिसीवर नियुक्त किया जाना न्याय उचित होगा ? यह कि विवादित खसरा नम्बर 120/0.08, 121/0.04, 122/0.34, 146/0.09, 253/0.03, 254/0.19, 255/0.22, 260/0.24

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

हैक्टेयर ग्राम तालू का बास उर्फ रघुनाथपुरा में स्थित है, जिसकी खातेदारी प्रथम पक्ष के तोताराम के नाम दर्ज रिकार्ड है, मुताबिक थानाधिकारी इस्तगासा रिपोर्ट विवादित खसरा नम्बरान पर प्रथम पक्ष के बाबूलाल व तोताराम ने अपना हक व कब्जा मानते हैं, जबकि द्वितीय पक्ष सूराराम व कबूल चन्द ने विवादित सम्पत्ति पर अपना अपने बुजुर्गो के समय से हक अधिकार होना बताया गया। प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष के द्वारा कब्जा स्वामित्व के संबंध में अपने–अपने जवाब के कथन मौखिक साक्ष्य की परिभाषा में आते है, जिनके आधार पर मालिकाना हक के बिन्दु का निर्णय किया जाना उचित नहीं पाता हूँ। विवादित सम्पत्ति आराजीयात किन पक्ष के स्वामित्व/अधिकार व कब्जे की है, जिसके संबंध में निर्णय प्रथम व द्वितीय पक्ष के मध्य चल रहे अपील वाद के निर्णय से होना है। कब्जा काश्त के विवाद को लेकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज खातेदार के खातेदारी अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता है।

9. उपर्युक्त विवेचन से यह पूर्णतः स्पष्ट है कि विवादित सम्पत्ति के खसरा नम्बर 120/0.08, 121/0.04, 122/0.34, 146/0.09, 253/0.03, 254/0.19, 255/0.22, 260/0.24 हैक्टेयर के कब्जे काश्त को लेकर दोनो पक्षों में किसी प्रकार का विवाद नहीं है तथा दोनो ही पक्ष किसी प्रकार के विवाद को लेकर मना करते हैं। खसरा नम्बर 120, 121, 122, 146, 253, 254, 255, 260 के संबंध में निर्णय दिनांक 20.06.2016 से द्वितीय पक्ष सूराराम, कबूल वगैरह को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया है। द्वितीय पक्ष ने निर्णय दिनांक 20.06.2016 की अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर के यहां कर रखी है, जो मान्य न्यायालय में विचाराधीन है। मुताबिक रिकार्ड विवादित आराजी परिवादी प्रथम पक्ष बाबूलाल के पिता तोताराम के नाम से जमाबन्दी में अंकन किया गया व राजस्व अपील प्राधिकारी का नोट भी जमाबन्दी पर अंकन है।

आदेश

अतः थानाधिकारी पुलिस थाना विराटनगर का इस्तगासा धारा 145 सी.आर.पी.सी. सारहीन होने से खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 29.06.2018 को खुले न्यायालय कैम्प कोर्ट विराटनगर में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर